# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2009/459 दिनांक : 24/11/09

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्बद्व महाविद्यालय/अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

विषयः–अग्रेषण शुल्क की राशि विश्वविद्यालय को प्रेषित करने एवं आपके महाविद्यालय से अग्रेषित छात्रों की परीक्षायें अन्य परीक्षा केन्द्र पर होने की दशा में अग्रेषण शुल्क राशि के वितरण करने बाबत् ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयांर्तगत निर्देशानुसार लेख है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वार्षिक मुख्य परीक्षा–2009 के लिये प्रति छात्र अग्रेषण शुल्क की राशि रू0 50/– निर्धारित की गई थी जिसमे से 10/– रू0 प्रति छात्र राशि विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी थी । कृपया सम्बंधित राशि विश्वविद्यालय के केश विभाग में जमा करायें ।

निर्देशानुसार अग्रेषण कार्य में संलग्न प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के लिये रू0 10/– प्रति परीक्षार्थी भुगतान की व्यवस्था है जिन महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार का पद है वह चूंकि द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं अतः कार्य की प्रकृति के अनुसार सम्बंधितों द्वारा किये गये कार्य का आंकलन अपने स्तर पर कर महाविद्यालय प्राचार्य स्व–विवेक से इस 10/– रू0 की राशि का विभाजन प्राध्यापक एवं रजिस्ट्रार के मध्य कर सकते हैं ।

साथ ही आपके महाविद्यालय से छात्रों के आवेदन–पत्र अग्रेषित किये जाने की दशा में यदि उन छात्रों की परीक्षा अन्य महाविद्यालय/केन्द्र पर सम्पादित होती है तो कार्यपरिषद के कार्यवृत्त के परिशिष्ट क्रमांक–01 में दी गई अनुशंसा के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय रू0 12/– मे से 06/– रू0 प्रति छात्र तथा आकस्मिक व्यय हेतु निर्धारित रू0 13/– मे से रू0 07/– सम्बंधित आकस्मिक व्यय हेतु उस महाविद्यालय/केन्द्र को हस्तांतरित करें जिस महाविद्यालय/केन्द्र में आपके महाविद्यालय से अग्रेषित छात्रों की परीक्षायें सम्पन्न कराई जा रही हैं ।

कुलसचिव,

प्रतिलिपि :–

1. वित्ताधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

सहायक–कुलसचिव(परीक्षा/गोप0)

Letter301109